परिशिष्ट – 1

कार्यवाही विवरण

विषयः– राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 08/10/2009 को श्री सरजियस मिंज, कार्यकारी मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुये :–

1. डॉ. सचदेव सिंग, उपायुक्त राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. श्री देवाशीष दास विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. श्री यूनुस अली, विशेष सचिव, वन विभाग।
4. श्री जी.एस. धनंजय, संचालक पंचायत एवं समाज सेवा।
5. श्री आशीष चक्रवर्ती, केंद्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर।
6. श्री पी.एल. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक नाबार्ड छ.ग.।
7. डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गाँ.कृ.वि.वि., रायपुर।
8. डॉ. आर.बी.एस. सेंगर, संचालक विस्तार सेवाएं इं.गाँ.कृ.वि.वि., रायपुर।
9. डॉ. ए.एल.राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गाँ.कृ.वि.वि., रायपुर।
10. श्री आर.के. राय वैज्ञानिक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड।
11. श्री पी.के. दवे, उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
12. श्री एस.के. हेमराज, उप–सचिव, कृषि विभाग।
13. श्री बी.के.मिश्रा, सहायक संचालक कृषि, संचालनालय रायपुर।
14. श्री कुण्डलेश्वर पाणिग्राही, पर्यवेक्षण अधिकारी, ज.ग्र.प्र. विकास आयुक्त कार्यालय।

बैठक के प्रारंभ में विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यकारी मुख्य सचिव तथा केंद्र शासन व राज्य शासन के विभिन्न विभाग के उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए उनका कार्यकारी मुख्य सचिव से परिचय कराया गया। तदुपंरात श्री प्रदीप दवे, उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकस विभाग द्वारा पावर पाईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बैठक के एजेण्डा बिंदुओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। बिंदुवार एजेण्डा पर चर्चा की गई।

एजेण्डा क्रमांक –01

भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन गाईड लाईन के अनुसार SLNA के कार्य व उद्देश्यों पर पावर पाईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुती कर विस्तार में प्रकाश डाला गया।

एजेण्डा क्रमांक –02

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का गठन छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक F-7-6/22/पं.ग्रा.वि.वि./2009, रायपुर दिनांक 10/08/2009 के द्वारा किया गया है। उक्त गठित समिति के बिंदु क्रमांक 13 अनुसार इं.गाँ.कृ.वि.वि. में कार्यरत 02 वैज्ञानिक क्रमशः डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गाँ.कृ.वि.वि., एवं डॉ. ए.एल. राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गाँ.कृ.वि.वि., रायपुर को SLNA में सदस्य के रूप में नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

क्रमशः...2...

<u>एजेण्डा क्रमांक –03</u>

SLNA में सदस्य के रूप में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्था (NGO) के संबंध में जानकारी दी गई की विभाग स्तर पर NGO को नामित करते हुए पैनल बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया गया।

निर्णयः– विभागीय प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –04</u>

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग एवं नाबार्ड द्वारा वर्तमान में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी क्रमशः उप–सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उप–सचिव कृषि विभाग तथा सहायक प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत की गई।

जलग्रहण क्षेत्र अंतर्गत भू–जल स्तर में वृद्धि बाबत जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में उप–सचिव, पंग्राविवि द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई । जलग्रहण परियोजना प्रारंभ होने के समय परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत नलकूप तथा कुओं के जलस्तर के क्रमशः माह अक्टूबर तथा मार्च में मापा गया तथा इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष इसी समय पुनः मापने के बाद एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में क्रमशः अक्टूबर व मार्च में जो जलस्तर रहा, वह तथा परियोजना प्रारंभ के समय जो जल स्तर रहा उसके अंतर के आधार पर वृद्धि की जानकारी दी गई।

निर्णय :– बैठक में सामूहिक रूप से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि केंद्रीय भू–जल बोर्ड से जलग्रहण क्षेत्र की परियोजनाओं में Random आधार पर भू–जल स्तर की स्थिति का परीक्षण कराने की कार्यवाही कर प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>एजेण्डा क्रमांक –05</u>

बैठक में जानकारी दी गई की, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग. शासन, द्वारा भारत शासन के समक्ष IWMP अंतर्गत 35 परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई। भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक–18/09/2009 में विस्तृत चर्चा तथा परीक्षण उपरांत छ.ग. राज्य की 29 परियोजनाओं पर छत्तीसगढ़ राज्य से SLNA की स्वीकृति संबंधी जानकारी चाही गई। तदनुसार दिनांक 24/09/2009 को मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष SLNA के निर्देशानुसार दिनांक–24/09/2009 को SLNA की बैठक में 29 परियोजनाओं पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार भारत सरकार को सूचित किया गया। उक्त 29 परियोजनाओं का SLNA के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण करते हुए दिनांक–24/09/09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– समिति द्वारा दिनांक–24/09/09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के साथ 29 परियोजनाओं के स्वीकृति की पुष्टि की गई।

क्रमशः 3

एजेण्डा क्रमांक –05.02

बैठक में उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई की छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत 06 परियोजनाएं पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11/09/09 तथा 18/09/09 को समीक्षा के दौरान दिये गये सुझावों तथा कॉमन गाईड लाईन के बिंदु क्र.– 5 पैरा–35.1 एवं 35.2 अनुसार SLNA के समक्ष संबंधित PIA (NGOs) के चयन संबंधी मापदंड (Norms) का प्रस्तुतीकरण किया गया। भारत सरकार के कॉमन गाईड लाईन अनुसार संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवश्यक अर्हता संबंधी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के आधार पर इन 06 परियोजनाओं की जानकारी तैयार की गई है।

निर्णयः– समग्र रूप से चर्चा उपरांत SLNA द्वारा उक्त 06 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, इन्हें भारत सरकार को पुनः स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

बैठक में इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि भविष्य में, NGOs द्वारा तैयार परियोजना प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु भारत सरकार की गाइड लाईन तथा दिशा–निर्देश के आधार पर विभाग स्तर पर तकनीकी समिति गठित किया जाकर, इन परियोजना प्रतिवेदनों का परीक्षण कर SLNA के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा क्रमांक –05.03

विभाग द्वारा 34375.72 हेक्टयर की 06 नई परियोजनाएं क्रमशः रायपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरिया, जगदलपुर की परियोजनाएं जिनमें शासकीय अधिकारी PIA होंगे, को भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान करने प्रस्ताव प्रस्तुत की गई।

निर्णयः– बैठक में विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन दिया गया।

एजेण्डा क्रमांक –06.01

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत IWMP की 29 परियोजनाओ के DPR तैयार करने हेतु भारत सरकार की जलग्रहण परियोजनाओं हेतु कॉमन गाईड लाईन के सेक्सन 9.3 के पैरा 67 अनुसार वाह्य रूप से DPR तैयार करने हेतु, राज्य सरकार के वर्तमान प्रचलित नियमों अनुसार, एजेंसी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

डॉ. सचदेव सिंग, उपायुक्त NRAA द्वारा जानकारी दी गई कि, परियोजनाओं के DPR तैयार करने हेतु NRAA द्वारा स्वयं के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत संबंधित PIA अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

निर्णय :– बैठक में समग्र रूप से विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी/पी.आई.ए. को प्रशिक्षण दिलाया जाकर DPR तैयार करने की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा क्रमांक –06.02

राज्य विशेष तकनीकी मेनुअल नाबार्ड द्वारा तैयार किये जाने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –07

SLNA में CEO के रूप में Special Secretary P&RD व Deputy CEO, के रूप में Deputy Secretary, P&RD को बनाये जाने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमशः....4...

एजेण्डा क्रमांक –03

एजेण्डा क्रमांक 08.01 :

विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने हेतु, पूर्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जलग्रहण प्रकोष्ठ के अंतर्गत स्वीकृत 14 पदों (वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत) को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में समायोजित करने हेतु अनुमोदन के साथ–साथ पर्यवेक्षण अधिकारी के पदनाम को परिवर्तित कर तकनीकी विशेषज्ञ (Technical/Professional Expert) किया जावें ।

निर्णय :– तद्संबंध चर्चा उपरांत SLNA द्वारा अनुमोदन दिया गया ।

एजेण्डा क्रमांक 08.02 :

भारत सरकार के कॉमन गाइड लाईन के सेक्शन–28 अनुसार विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अंतर्गत डाटा सेल की स्थापना एवं उक्त डाटा सेल के अंतर्गत नवीन 03 पदों संरचना की स्वीकृति/सहमति प्रस्तावित की गई, जो निम्नानुसार है :–

1. जी.आई.एस. विशेषज्ञ	01 पद
2. डाटा एन्ट्री आपरेटर	01 पद
3. प्रोगामर	01 पद

तत्संबंध में चर्चा उपरांत उक्त 03 पदों की स्वीकृति करते हुए वित्त विभाग से भी सहमति/स्वीकृति लेने हेतु निर्देशित किए गए।

निर्णयः– अंत में उपरोक्त समस्त पदों (14 स्वीकृत पद + नवीन 03 पद) को एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं की कार्य अवधि तक स्वीकृत करने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर सहमति/अनुमोदन दिया गया एवं वित्त विभाग से उक्त समस्त पद प्रस्ताव पर सहमति/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक –09

राज्य में संचालित IWDP & DPAP की परियोजनाओं के मध्यावधि व अंतिम मूल्यांकन हेतु भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक M-11011/4/2008-M&E दिनांक 21/08/09 को SLNA के समक्ष प्रस्तुत कर GoI द्वारा अनुमोदित सूची का अवलोकन कराया गया।

कार्य की अधिकता को देखते हुए विभाग ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के अतिरिक्त क्रमशः निम्नानुसार सूची अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की :–

1. नाबार्ड, छत्तीसगढ़।
2. श्री एन.एस. धामा, सेवानिवृत्त उपायुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सामर्थ जन मानव एवं पर्यावरण विकास समिति, कोरिया।
4. भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जांजगीर–चांपा।
5. नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स सोसायटी, रायपुर।

चर्चा उपरांत बैठक में निम्नानुसार सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1. नाबार्ड, छत्तीसगढ़।
2. श्री एन.एस. धामा, सेवानिवृत्त उपायुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय, के संचालक अनुसंधान सेवाओं के अधीन वैज्ञानिक।

एजेण्डा क्रमांक –10

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के बैंक एकाउंट खोले जाने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर/अनुमोदन संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त बैंक खाते को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं लेखाधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा संचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(कार्यवाही विवरण अध्यक्ष, SLNA द्वारा अनुमोदित)

13.10.09

(पी.के. दवे)
उप–मु0कार्य0अधि0
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं
उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 13/10/09

पृ. क्रमांक 4661/SLNA/09

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. प्रमुख सचिव, वन विभाग
5. सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग
6. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना
7. विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA
8. विशेष सचिव, वन विभाग
9. डॉ. सचदेव सिंग, उपायुक्त, राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
11. श्री आशीष चक्रवर्ती, केंद्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर
12. श्री पी.एल. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक नाबार्ड छ.ग.
13. डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
14. डॉ. आर.बी.एस. सेंगर, संचालक विस्तार सेवाएं इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
15. डॉ. ए.एल.राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
16. श्री आर.के. राय वैज्ञानिक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
17. श्री पी.के. दवे, उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
18. श्री एस.के. हेमराज, उप–सचिव, कृषि विभाग

को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/10/09

उप–मु0कार्य0अधि0
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं
उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 08.10.2009 को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक में लिए गए निर्णय पर पालन प्रतिवेदन

क्र.	ऐजेण्डा बिंदु	निर्णय	निर्णय पर लिए गए कार्यवाही	रिमार्क
01	भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन गाईड लाईन के अनुसार SLNA के कार्य व उद्देश्यों पर पावर पाईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुती कर विस्तार में प्रकाश डाला गया।	–	–	–
02	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का गठन छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक F-7-6/22/पं.ग्रा.वि.वि./2009, रायपुर दिनांक 10/08/2009 के द्वारा किया गया है। उक्त गठित समिति के बिंदु क्रमांक 13 अनुसार इं.गाँ.कृ.वि.वि. में कार्यरत 02 वैज्ञानिक क्रमशः डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गाँ.कृ.वि.वि., एवं डॉ. ए.एल. राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गाँ.कृ.वि.वि., रायपुर को SLNA में सदस्य के रूप में नामित करने संबंधी प्रस्ताव। बैठक दिनांक 18.01.2010 में उन्हें आमांत्रित किया।	प्रस्ताव पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।	अनुमोदन उपरांत डॉ. एस.एस.शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएं, इ.गॉ.कृ.वि.वि, रायपुर व डॉ. ए.एल. राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गा.कृ.वि.वि., रायपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 48 एवं 49, दिनांक 04.01.2010 के माध्यम से सदस्य नामित कर पत्र प्रेषित किया गया।	परिशिष्ट–1 व 2
03	SLNA में सदस्य के रूप में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्था (NGO) के संबंध में जानकारी दी गई की विभाग स्तर पर NGO को नामित करते हुए पैनल बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया गया।	विभागीय प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	–
04	प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग एवं नाबार्ड द्वारा वर्तमान में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी क्रमशः उप–सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उप–सचिव कृषि विभाग तथा सहायक प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। जलग्रहण क्षेत्र अंतर्गत भू–जल स्तर में वृद्धि बाबत जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में उप–सचिव, पंग्राविवि द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई । जलग्रहण परियोजना प्रारंभ होने के समय परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत नलकूप तथा कुओं के जलस्तर के क्रमशः माह अक्टूबर तथा मार्च में मापा गया तथा इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष इसी समय पुनः मापने के बाद एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में क्रमशः अक्टूबर व मार्च में जो जलस्तर रहा, वह तथा परियोजना प्रारंभ के समय जो जल स्तर रहा उसके अंतर के आधार पर वृद्धि की जानकारी दी गई।	बैठक में समग्र रूप से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि केंद्रीय भू–जल बोर्ड से जलग्रहण क्षेत्र की परियोजनाओं में Random आधार पर भू–जल स्तर की स्थिति का परीक्षण कराने की कार्यवाही कर प्रगति से अवगत कराया जाए।	भू–जल स्तर की स्थिति का रेन्डम आधार पर परीक्षण CGWB से कराने संबंधी प्रस्ताव कार्यालयनी पत्र क्रमांक 47, दिनांक 04.01.2010 के माध्यम से प्रेषित किया है।	परिशिष्ट–3

05	बैठक में जानकारी दी गई की, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छ.ग. शासन, द्वारा भारत शासन के समक्ष IWMP अंतर्गत 35 परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई। भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक–18/09/2009 में विस्तृत चर्चा तथा परीक्षण उपरांत छ.ग. राज्य की 29 परियोजनाओं पर छत्तीसगढ़ राज्य से SLNA की स्वीकृति संबंधी जानकारी चाही गई। तदनुसार दिनांक 24/09/2009 को मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष SLNA के निर्देशानुसार दिनांक–24/09/2009 को SLNA की बैठक में 29 परियोजनाओं पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार भारत सरकार को सूचित किया गया। उक्त 29 परियोजनाओं का SLNA के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण करते हुए दिनांक–24/09/09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	समिति द्वारा दिनांक– 24/09/09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोद के साथ 29 परियोजनाओं के स्वीकृति की पुष्टि की गई।	(i) बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भारत शासन को कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 4661, दिनांक 13.10.09 द्वारा सूचित किया गया। (ii) उक्त 29 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकर से उनके पत्र क्रमांक K-11013/9/2009-IWMP (CG), दिनांक 30.10.09 से विभाग को प्राप्त हुई है। (iii) तदनुसार स्वीकृत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लिखा गया है। (iv) वर्तमान में प्रदेश के 4 जिलों का DPR का कार्य अंतिम चरण में है, जो भारत सरकार को प्रथम सप्ताह तक भेज दिया जावेगा, शेष जिलों के DPR भी 15 फरवरी तक GoI को भेजने के प्रयास किये जा रहे है।	परिशिष्ट–4
05.2	बैठक में उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई की छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत 06 परियोजनाएं पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11/09/09 तथा 18/09/09 को समीक्षा के दौरान दिये गये सुझावों तथा कॉमन गाईड लाईन के बिंदु क्र.– 5 पैरा–35.1 एवं 35.2 अनुसार SLNA के समक्ष संबंधित PIA (NGOs) के चयन संबंधी मापदंड (Norms) का प्रस्तुतीकरण किया गया। भारत सरकार के कॉमन गाईड लाईन अनुसार संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवश्यक अर्हता संबंधी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के आधार पर इन 06 परियोजनाओं की जानकारी तैयार की गई है।	समग्र रूप से चर्चा उपरांत SLNA द्वारा उक्त 06 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, इन्हें भारत सरकार को पुनः स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति दी। बैठक में इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि भविष्य में, NGOs द्वारा तैयार परियोजना प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु भारत सरकार की गाइड लाईन तथा दिशा–निर्देश के आधार पर विभाग स्तर पर तकनीकी समिति गठित किया जाकर, इन परियोजना प्रतिवेदनों का परीक्षण कर SLNA के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।	06 प्रस्तावों को पुनः भारत शासन को स्वीकृति हेतु दिनांक 23.12.09 के स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करायी गई थी एवं उक्त प्रस्तुत योजनाओं में से 4 परियोजनाएं SLNA के अनुमोदन अनुसार तथा शेष दो जांजगीर–चांपा की योजनाओं में उपचारित क्षेत्र में पुनः विचार कर संशोधित करने की शर्त के साथ भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार भारत सरकार को विभाग के पत्र क्रमांक 95, दिनांक 06.01.10 द्वारा अवगत कराया गया है, कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	परिशिष्ट–5

05.3	विभाग द्वारा 34375.72 हेक्टयर की 06 नई परियोजनाएं क्रमशः रायपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरिया, जगदलपुर की परियोजनाएं जिनमें शासकीय अधिकारी PIA होंगे, को भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान करने प्रस्ताव प्रस्तुत की गई।	बैठक में विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन दिया गया।	अनुमोदन उपरांत उक्त 06 नई परियोजनाएं जिनमें शासकीय अधिकारी PIA होंगे। GoI से स्वीकृति हेतु दिनांक 23.12.09 के स्टेयरिंग कमेटी में प्रस्तुत करायी गई थी 5 परियोजनाएं SLNA के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत 1 परियोजना को जिले की आंशिक संशोधन भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार भारत सरकार को विभाग के पत्र क्रमांक 95, दिनांक 06.01.10 .द्वारा अवगत कराया गया है, कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	परिशिष्ट–5
06.1	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत IWMP की 29 परियोजनाओं के DPR तैयार करने हेतु भारत सरकार की जलग्रहण परियोजनाओं हेतु कॉमन गाईड लाईन के सेक्सन 9.3 के पैरा 67 अनुसार बाह्य रूप से DPR तैयार करने हेतु, राज्य सरकार के वर्तमान प्रचलित नियमों अनुसार, एजेंसी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। डॉ. सचदेव सिंग, उपायुक्त NRAA द्वारा जानकारी दी गई कि, परियोजनाओं के DPR तैयार करने हेतु NRAA द्वारा स्वयं के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत संबंधित PIA अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।	बैठक में समग्र रूप से विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी/पी. आई.ए. को प्रशिक्षण दिलाया जाकर DPR तैयार करने की कार्यवाही की जावे।	1. IWMP के नवस्वीकृत परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी/PIA को NRAA द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा दिनांक 09 से 14 व 16 से 21 नवंबर 2009 को SIRD निमोरा में दो बैचों पर प्रशिक्षण दिया गया। 2. DPR तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।	परिशिष्ट–6
06.2	राज्य विशेष तकनीकी मेनुअल नाबार्ड द्वारा तैयार किये जाने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा।	विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।	राज्य विशेष तकनीक मैनुअल नाबार्ड से बनाने हेतु NRAA को पत्र क्रमांक 4721, दिनांक 16.10.09, लिखा गया।	परिशिष्ट–7
07	SLNA में CEO के रूप में Spécial Secretary P&RD व Deputy CEO, के रूप में Deputy Secretary, P&RD को बनाये जाने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर अनुमोदन।	विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।	SLNA एवं माननीय मंत्रीजी, पं.ग्रा.वि.वि. के अनुमोदन उपरांत विभाग के आदेश क्रमांक 83/पंगाविवि, दिनांक–06.01.10 के तहत नामित किया गया हैं।	विभाग द्वारा पत्र क्र..... दिनांक.....से पुनः पत्र लिखा गया है।

1	2	3	4	5
08.1	विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने हेतु, पूर्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जलग्रहण प्रकोष्ठ के अंतर्गत स्वीकृत 14 पदों (वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत) को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में समायोजित करने हेतु अनुमोदन के साथ–साथ पर्यवेक्षण अधिकारी के पदनाम को परिवर्तित कर तकनीकी विशेषज्ञ (Technical/Professional Expert) किया जावें ।	तद्संबंध चर्चा उपरांत SLNA द्वारा अनुमोदन दिया गया ।	कार्यवाही प्रगति पर है। विभाग के जावक क्रमांक .....दिनांक ..... द्वारा नस्ती वित्त विभाग को सहमति/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है।	–
08.2	भारत सरकार के कॉमन गाइड लाईन के सेक्शन–28 अनुसार विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अंतर्गत डाटा सेल की स्थापना एवं उक्त डाटा सेल के अंतर्गत नवीन 03 पदों संरचना की स्वीकृति/सहमति प्रस्तावित की गई, जो निम्नानुसार है :– 1. जी.आई.एस. विशेषज्ञ 01 पद 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर 01 पद 3. प्रोगामर 01 पद ततसंबंध में चर्चा उपरांत उक्त 03 पदों की स्वीकृति करते हुए वित्त विभाग से भी सहमति/स्वीकृति लेने हेतु निर्देशित किए गए। वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। **<u>विभागीय प्रस्ताव निम्नानुसार है</u> :–** (i) आयुक्त कार्यालय के अधीन जलग्रहण क्षेत्र विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत N-P-1-'X' अनुसार स्वीकृत 14 पदों को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधन के साथ समाहित किया जावे :– (अ) संयुक्त संचालक (निदेशक), वेतनमान 12000–16500 के पद को कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के लिए आरक्षित करते हुए उक्त पद कृषि विभाग के अंतर्गत सांकेतिक रूप से भी स्वीकृत करने की सहमति (EN-CADAR) अर्थात EX-CADER पद को कृषि विभाग से SLNA के पद के विरूद्ध भरने की सहमति। यह सहमति योजना क्रियान्वयन अवधि तक के लिए रहेंगी। (ब) पर्यवेक्षण अधिकारी के 03 पदों का नाम परिवर्तन कर तकनीकी विशेषज्ञ किया जाना।	अंत में उपरोक्त समस्त पदों (14 स्वीकृत पद + नवीन 03 पद) को एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं की कार्य अवधि तक स्वीकृत करने संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर सहमति/अनुमोदन दिया गया एवं वित्त विभाग से उक्त समस्त पद प्रस्ताव पर सहमति/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	SLNA से अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति का माननीय मंत्रीजी, पं.ग्रा.वि.वि. से प्राप्त की गई एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभाग के जावक क्रमांक .....दिनांक ..... द्वारा नस्ती वित्त विभाग को सहमति/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है।	–

	(ii) GIS Cell हेतु आवश्यक निम्नानुसार पदों को स्वीकृत किया जाना। 1. जी.आई.एस. विशेषज्ञ – 01 पद 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर– 01 पद 3. प्रोगामर – 01 पद (iii) SLNA के लेखा अभिलेख संधारण करने तथा रखरखाव हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2009 के अनुसार निम्न पदों की आवश्यकता होगी:– (अ) लेखाधिकारी – 01 पद (ब) लेखा सहायक – 01 पद उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा SLNA हेतु स्वीकृत की जाने वाली पद संरचना हेतु वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा 90:10 (90% राशि भारत शासन तथा 10% राशि राज्य सरकार द्वारा) योजना अवधि तक किया जावेगा। (iv) भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009-IWMP(IS), दिनांक 29/09/09 द्वारा बिंदु क्रमांक 04 तथा 05 अनुसार भारत सरकार द्वारा SLNA को राज्य स्तर तथा CEO-P&RD के जलग्रहण प्रकोष्ठ हेतु Recurring Grant तकनीकी विशेषज्ञ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिया जावेगा जिसका विवरण Paragraph एक (1) एवं चार (4) में दिया गया है।			
09	राज्य में संचालित IWDP & DPAP की परियोजनाओं के मध्यावधि व अंतिम मूल्यांकन हेतु भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक M-11011/4/2008-M&E दिनांक 21/08/09 को SLNA के समक्ष प्रस्तुत कर GoI द्वारा अनुमोदित सूची का अवलोकन कराया गया। कार्य की अधिकता को देखते हुए विभाग ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के अतिरिक्त क्रमशः निम्नानुसार सूची अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की :– 1. नाबार्ड, छत्तीसगढ़। 2. श्री एन.एस. धामा, सेवानिवृत्त उपायुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। 3. समर्थ जन मानव एवं पर्यावरण विकास समिति, कोरिया। 4. भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जांजगीर–चांपा। 5. नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स सोसायटी, रायपुर।	बैठक में निम्नानुसार सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया :– 1.नाबार्ड छत्तीसगढ़। 2.श्री एन.एस. धामा, सेवानिवृत्त उपायुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। 3.इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय, के संचालक अनुसंधान सेवाओं के अधीन वैज्ञानिक।	SLNA से अनुमोदन उपरांत उक्त 03 संस्था/व्यक्ति विशेषज्ञ को पत्र क्रमांक 5150,दिनांक13.11.09 के तहत भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के पत्र क्रमांकM-11011/04/2009-M&Eदिनांक 19.11.2009 द्वारा श्री एन.एस.धामा के प्रोफाईल/बायोडाटा प्रेषित करने के साथ–साथ नाबार्ड एवं इं.गा.कृ.वि.वि. के वैज्ञानिकों द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं के मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन कार्य हेतु अधिकृत किया गया। विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5528,दिनांक 14.12.09 के माध्यम से श्री एन.एस.धामा के प्रोफाईल भारत सरकार को प्रेषित किया गया।	परिशिष्ट–8, 9 व 10.

1	2	3	4	5
10	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के बैंक एकाउंट खोले जाने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर/अनुमोदन संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त बैंक खाते को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं उप–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के द्वारा संचालित करने का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	चर्चा उपरांत उक्त बैंक खाते को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं लेखाधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा संचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।	SLNA से अनुमोदन उपरांत नस्ती माननीय मंत्रीजी से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत विभाग के आदेश क्रमांक ..... एवं 5617, दिनांक .....एवं 21.12.09 द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।	परिशिष्ट

(पी.के. दवे)
उप–सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग